कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
दूरभाष / फैक्स नं. 07744–225158 ई–मेल–actd.rajnandgaon@nic,in

क्रमांक / 1649 / आजाक / अ.सं.छा. / 2020–21 राजनांदगांव, दिनांक 27 / 11 / 2020

प्रति,

अधिष्ठाता / रजिस्ट्रार / प्राचार्य शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय /
प्राचार्य शा.उ.मा.शाला / प्रधान पाठक / शास / अशास..................................
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विषय :– **अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की योजना प्री.मैट्रिक / पो.मैट्रिक / मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2020–21 बाबत् ।**

संदर्भः– 1.कर्या. आयुक्त आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास नवा रायपुर का पत्र क्र. / असंछा / पो.मै. / न.क्र.–02 / 19–20 / 4397 रायपुर दिनांक 21 / 09 / 2020 ।
2.इस कार्या. का पत्र क्रमांक / 1004 राजनांदगंव दिनांक 22.09.2020 ।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020–21 की प्री.मैट्रिक / पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति हेतु नेशनल स्कालरशीप पोर्टल **scholarships.gov.in** मे आवदेन एवं वैरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इन योजनाओं हेतु विभिन्न प्रकियाओं के लिऐ निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है :–

क्रमांक	योजना का नाम	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	संस्था द्वारा वैरिफिकेशन की अंतिम तिथि
1	प्री.मैट्रिक छात्रवृत्ति	31–12–2020	15–01–2021
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	31–12–2020	15–01–2021
3	मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति	31–12–2020	15–01–2021

अतः उक्त निर्धारित तिथि तक आपके संस्थाओं में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों द्वारा नवीन / नवीनीकरण का आवेदन कराते हुये संस्थाओं द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षण कर वैरिफिकेशन करते हुये हार्ड कापी इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करे। ताकि निर्धारित समयावधी में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही किया जा सके। किसी भी विद्यार्थी का आवेदन लंबित रहने पर संस्था प्रमुख के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेदार होंगे।

विद्यार्थियों को जानकारी देवें

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास राजनादगांव

पृ. क्रमांक / 1650 / आजाक / अ.सं.छा. / 2020–21 राजनांदगांव, दिनांक 27 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप संचालक, जन संपर्क विभाग राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ। कृपया उक्त समाचार जिले के प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास राजनादगांव

\\10.132.176.94\e\Minority Scholarship\alpsankhyak 95\ALP\ALP Ghapan.doc1463